

CFL/SEC/SE/PS/2018-19/C May 18, 2018

The Manager (Listing)

Bombay Stock Exchange Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Code: 508814

The Manager (Listing)

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza,

Plot no. C/1, G Block, Bandra – Kurla Complex

Mumbai-400 051

Security ID: "COSMOFILMS"

Sub: Notice to Shareholders under IEPF Rules

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of the newspaper advertisement published in today's English and Hindi newspaper for attention of Shareholders of the Company in respect of transfer of equity shares on which dividend has not been claimed for the last 7 consecutive years to IEPF Authority.

You are requested to take the same on your records.

Thanking You

Yours faithfully

For Cosmo Films Limited

Jyoti Dixit

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

Business Stardard' 12 Hindi Edition 18 May 2018

EF COSMO FILMS

कोस्मो फिल्म्स लिमिटेड

पंजी. कार्याः 1008, डीएलएफ टॉवर-ए. जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नई दिल्ली-110025 CIN: L92114DL1976PLC008355, फोनः 011-49494949, फैक्सः 011-49494950 ई-मेल: investor.relations@cosmofilms.com, देवसाइट: www.cosmofilms.com

कंपनी के शेयरधारकों के लिए सूचना

विषयः (1) अप्रवत्त / अदावाकृत लामांश के दावे के लिए रिमाइंडर और कंपनी के इक्किटी शेयरों का आईईपीएफ को अंतरण

(II) अपनी होल्डिंग के अधीन पैन एवं बैंक विवरण का नवीनीकरण अनिवार्य

शेयरधारकों को एतद्द्वारा सुवित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण त्रेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2018 (आईईपीएफ नियम) और उसके अधीन अनुवर्ती संशोधन के लखापराक्षा, अतरण एव वापसा। लयम, 2018 (आइइपाएफ नियम) आर उसक अवान अनुवात सहावन के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की बारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2010—11 के दौरान घोषित लामांश जो सात वर्षों की अठांधे से अदावाकृत है, उसे 19 अगस्त, 2018 को आईईपीएफ के पास जमा किया जाएगा। संगत शैयर जिन पर निरंतर सात वर्षों की अवधि के लिए लामांश आहरनार्ष्य क पात जमा क्या आर्पात चेपा संवर्ध का परिवर्ध का पातन करते हुए अंतरित किया जाएगा। अदावाकृत है, उन्हें भी निवर्मों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पातन करते हुए अंतरित किया जाएगा। कंपनी ऐसे शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित नहीं करेगी जहां ऐसे शेयरों के अंतरण पर किसी भी न्यायालय/अधिकरण ने रोक लगाने का विशेष आदेश दिया हो या जहां शेवंर किमीजिटरीज अधिनेयन, 1996 के अधीन रेहन / बंधक हैं।

आईईपीएफ नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने ऐसे सभी शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना मेज दी है और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने वाले ऐसे सेयरों का विवरण हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने वाले अपने शेयरों के विवरणों के सत्यापन के लिए वेब-लिंक http://www.cosmofilms.com/shareholders-information को देख सकते हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है किया जाता है कि आईईपीएफ को ऐसे किसी अंतरण से पूर्व वितीय वर्ष 2010-11 एवं उससे आगे की अवधि के दौरान घोषित अंतिम लागांश का दादा कर लें।

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर भौतिक प्रारूप में धारित है और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने के लिए लबम्बत संबरवारक ाजनक रायर भातक प्रारंप म धारत ह आर आइरपाएफ का असारत हम्य जान के लिए योग्य हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपन्नों के बदले बुल्तीकेट शेयर प्रमाणपन्न जारी करेगी और ऐसे शेयरों के जारी होने पर कंपनी बुल्तीकेट शेयर प्रमाणपन्नों को बिनेट प्रारंख में बदलने और आईईपीएफ के एस में अंतरण के लिए कॉपोरेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिस्टर्स को सुवित करेगी। नूल शेयर प्रमाणपत्र जो मूल शेयरबारक के नाम पर पंजीकृत हैं, बाद में स्थतः ही निरस्त हो जाएंगे और गैर-विनिमेय माने जाएंगे।

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर डिमोटेरियलाइज्ड प्रारूप में है, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ वें हमेंट खाते में शेयरों के अंतरण के लिए कॉर्पीरेट कार्यकलाप के मध्यम से डिपॉजिटशे को सूचित करेगी। शेयरचारक कृपया नोट करें कि अदावाकृत लामांश एवं शेयर एक बार आईईपीएफ प्राधिकरण को अतरित किये जाने के बाद आईईपीएफ नियमी (आईईपीएफ वेबसाइट http://www.iepf.gov.in देखे) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राविकरण के पास अपना दावा कर सकते हैं और इस संबंध में कंपनी के पास कोई दावा नहीं किया जा संकंपा।

यदि कंपनी को संबंधित शैयरधारकों से 19 अगस्त, 2018 तक या उससे पूर्व कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है जो कम्पनी ऐसे शैयरों / लाभाश को आईईपीएफ प्राधिकरण के पास जमा कर देगी। कृपया ध्यान दें कि ए जा के राम एक राजपार त्यानारा का जावश्यार पर जावकरण के यांच जाना कर वना। कृपवा ब्यान दे कि ऐसे शेयरों पर मंत्रिष्य में उपार्जित रामी जाग, लागांश भी आईईपीएफ प्राधिकरण को अवरित कर दिये जाएंगे

इस विषय में किसी भी पूछताछ के लिए आप investor relations@cosmofilms.com पर ई-मेल गेज सकते हैं या कंपनी के रिजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स अलेकित एसाइमेट्स लिमिटेंड, यूनिट, कोस्मी ल या अपना । क राजाद्वार एवं सावर द्वारावर एकट, सचन जलाव्या स्वाह्माद्वा त्वाराटक, बूगाट, कासी। किल्मम् लिगिटेड, 1ई∕13, अलकित हाइट्ज, झंखेवालाग् एक्सटेशम्, नई दिल्ली, ई–मेल (ta@alankt.com में सम्पर्क कर सकते हैं।

सेबी सर्कुलर दिनांक 20 अप्रैल, 2018'के अनुसार, शेयरपारेक जिनके लेजर फोलियों पैन एवं बैंक खाते राब राजुलर (दनारू 20 अप्रल, 2016 के अनुसार राजरबारक एजांक सभार जाताओं के एवं बेक जीते से लिंक नहीं हैं, जनसे अनुरोध है कि वे संबंधित फीतियों के पंजीकरण के लिए अपने विवरण अनिवार्य रूप से कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेवर ट्रांसफर एजेंट (आस्टीर) गैयरों अलंकित एसाइनमेंट्स तिमिटेड, 1ई /13, अलंकित हाइट्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110055 ई—मेल: rta@alankit.com पास जमा करें।

कृते कोस्मो फिल्मस् तिमिटेड हस्ता /-ज्योति दीक्षित

कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 17:05.2018 English Edition

V DELHI | FRIDAY, 18 MAY 2018 Business Standard

चुव

धन

दी

वि

1

EF COSMO FILMS

COSMO FILMS LIMITED

Regd. Off: 1008, DLF Tower-A, Jasola District Centre, New Delhi-110025 CIN: L92114DL1976PLC008355, Tel: 011-49494949, Fax: 011-49494950 E-mail: investor.relations@cosmofilms.com, Website: www.cosmofilms.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

SUBJECT: (I) REMINDER TO CLAIM THE DIVIDENDS REMAINING UNPAID/UNCLAIMED AND TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO (II) MANDATORY UPDATION OF PAN AND BANK DETAILS AGAINST YOUR HOLDING(S)

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provision of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (IEPF Rules) and subsequent amendment thereto, the dividend declared during the financial year 2010-11, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the IEPF on 19th August, 2018. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedures set out in the rules.

The Company will not transfer such shares to the IEPF where there specific order of Count Inburial restraining any transfer of such shares or where the specific order of Court/ pledged under the Depositories Act, 1996.

In compliance to the IEPF Rules, the oempany has communicated individually to the concerned shareholders and details of such shares liable to be transferred to IEPF are also available on our website. Shareholders concerned may refer to the web-link http://www.cosmofilms.com/shareholders-information to verify the details of their shares liable to be transferred to IEPF authority.

reholders are requested to claim the final dividend declared during the financial year 2010-11 and onwards before the same is transferred to the IEPF.

Concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEFF may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of original held by them for the purpose of transfer of shares to IEFF and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEFF. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

Concerned shareholders fiolding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the Demat account of the IEPF. Shareholders may note that both unclaimed dividend and shares once transferred to IEPF authority can be claimed from the IEPF authority after following the procedures prescribed under the IEPF Rules (refer the IEPF website http://www.lepf.gov.in), and no claim shall lie against the company.

In case the Company does not receive any communications from the concerned shareholders on or before 19" August, 2018 the Company shall credit those shares/dividend with the IEPF authority. Kindly note that all future benefits, dividends arising on such shares would also be transferred to IEPF authority.

For any quaries on the subject matter, you may e-mail us at investor relations@cosmofilms.com or contact the Company's Registrar and Transfer Agent, M's Alankit Assignments Limited, Unit: Cosmo Films Limited at 1E/13, Alankit Heights, Jhandewalan Extension, New Delhi 1100155, Email: rta@alankit.com.

As per SEBI Circular dated 20th April, 2018, shareholders whose ledger folios are not mapped with PAN and Bank account, are request to compulsorily furnish the details te the Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) M/s Alankit Assignments Limited, 1E/13, Alankit Haights, Jhandewalan Extension, New Delhi -1100155, Email:rta@alankit.com for registering the same with respective folio(s).

For Cosmo Films Limited

Place: New Delhi Date: 17.05.2018

Jyoti Dixit

Company Secretary